प्रेस नोट
दिनांक 01.04.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 573 ग्राम नाजायज गांजा बरामद–

कार्यवाहीः–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त उमेश प्रताप सिंह पुत्र इन्द्रसेन सिंह को पूरे ललक बाबाजी मंदिर मोड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 किलो 573 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
जनपद गोण्डा में अपराध एवं अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 31.03.2026 को उ0नि0 अक्षय कुमार चौधरी मय पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान ग्राम पुरेललक, बालाजी मंदिर मोड़ के पास एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम उमेश प्रताप सिंह पुत्र इन्द्रसेन सिंह निवासी जगदीशपुर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा बताया। तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से 02 किग्रा 573 ग्राम अवैध गांजा व ₹8880/– नकद (गांजा बिक्री की धनराशि) बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. उमेश प्रताप सिंह पुत्र इन्द्रसेन सिंह नि0 जगदीशपुर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–240/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 02 किलो 573 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 अक्षय कुमार चौधरी।
02. उ0नि0 आनन्द उपाध्याय।
03. हे0का0 छोटेलाल जायसवाल।
04. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव।
05. हे0का0 शैलेन्द्र राय।
06. हे0का0 अभिमन्यु गुप्ता।

मीडिया सेल, गोण्डा।